(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष के आरम्भ में इन प्रतिष्ठानों को कोयले की पूर्ति उनके लिए निर्धारित मात्रा के अनुसार नहीं की जा सकी ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और पूर्ति कम करने के क्या कारण हैं तथा पूर्ति में कब तक सुधार हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) कोयला विभाग की अल्पावधि स्थायी संयोजन समिति द्वारा प्रत्येक तीन महीने के लिए ताप विद्युत गृहों की कोयला संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित किया जाता है । कपड़ा मिलों को कोयले की आपूर्ति प्रायोजन प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार की जाती है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में स्थित ताप विद्युत गृहों और कपड़ा मिलों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा अनुपत्र में दी गई है । (देखिए परिशिष्ट 154, अनुपत्र सं० 35)

(ग) जनवरी-मार्च, 1990 के दौरान गुजरात के ताप विद्युत गृहों को कोयला आपूर्ति की संतोषप्रदत्ता इन ताप विद्युत गृहों को प्रदत्त तिमाही संयोजन का 77 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1989–90 के दौरान संयोजन समग्र संतोषप्रदत्ता स्तर का 78.6 प्रतिशत था । यद्यपि विद्युत गृहों में कोयले की प्राप्ति में वृद्धि हुई । संतोषप्रदत्ता प्रतिशत में थोड़ी कमी आने का कारण पिछली तिमाही के 9.1 लाख टन प्रति माह के संयोजन में काफी वृद्धि करके 10.9 लाख टन प्रति माह कर दिया गया था । इस अवधि के दौरान कपड़ा मिलों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा पिछले दो वर्षों की इसी अवधि में आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा की तुलना में कम रही है ।

(घ) कोयला की उपलब्धता और रेल परिवहन क्षमता की तुलना में वरीय उपभोक्ताओं द्वारा सा.ई.को.लि. और वे.को.लि. में स्थित इन कोयला क्षेत्रों से कोयले की ज्यादा मांग किए जाने के कारण रेल द्वारा कपड़ा मिलों को (जिनकी वरीयता अपेक्षाकृत कम है) कम मात्रा में कोयला भेजा गया । हालांकि रेल द्वारा आपूर्ति में कमी को पूरा किए जाने के लिए इन कपड़ा मिलों को सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति ऐसे मामलों में की गई जहां रेल द्वारा आपूर्ति किए जाने के कार्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सका ।

सीमेंट के मूल्यों को कम किया जाना

*16 7. **श्री गुफरान आजम :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट उत्पादकों से कहा है कि वे सीमेंट के बढ़े हुए मूल्यों को कम करके उन्हें उस मूल्य स्तर पर लाएं जो 31 मार्च, 1990 को विद्यमान था;

(ख) यह भी सच है कि दिसम्बर 1989 से जनवरी, 1990 के बीच की अवधि के दौरान सीमेंट की प्रत्येक बोरी का मूल्य 62 रुपये और 75 रुपये के बीच था;

(ग) यदि हां,तो उत्पादकों को सीमेंट के मूल्यों को उस स्तर तक कम करने के लिये न कहे जाने के क्या कारण हैं;

(घ) प्रति टन सीमेंट के उत्पादन से संबंधित कच्चे माल, प्रबन्ध कर, बिजली पैकिंग और ढुलाई आदि जैसे आदानों पर होने वाले खर्च का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार सीमेंट के मूल्यों को और कम करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री अजीत सिंह) :

विवरण

(क) जब निर्माण कार्य अपनी चरम सीमा पर होता है, तो उस दौरान सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि होती है । यद्यपि इस वर्ष मार्च, 1990 तक सीमेंट के मूल्यों में धीरे-धीरे वृद्धि, हुई है, लेकिन अप्रैल में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । सरकार की सलाह पर सीमेंट निर्माता अपने एक्स-स्टाकिस्ट मूल्य को 31 मार्च 1990 के मूल्य पर लाने के लिए सहमत हो गए हैं ।

(ख) महत्वपूर्ण खपत केन्द्रों में दिसम्बर, 1989 और जनवरी, 1990 माह के अंतिम दिन सीमेंट का प्रति बोरी खुदरा मूल्य (सभी करों सहित) दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) जैसा कि पहले बताया जा चुका है, निर्माण के दिनों में सीमेंट के मूल्यों में हमेशा सामयिक वृद्धि होती है । चूंकि अप्रैल में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, इसलिए इस उद्योग को 31-3-1990 के मूल्य स्तर बनाए रखने की सलाह दी गयी थी ।

(घ) सीमेंट में उत्पादन की लागत काफी अलग अलग होती है, जो यूनिट द्वारा प्रयोग में लायी गयी प्रक्रिया, संयंत्र कितना पुराना है, कच्चे माल के स्रोत, इसके स्थापनास्थल व कोयले की उपलब्धता परिवहन लागत आदि पर निर्भर करती है ।

(ङ) सरकार ने सीमेंट के मूल्यों में कमी लाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैं :—

(1) प्रमुख सीमेंट उत्पादक अपने एक्स-स्टाकिस्ट मूल्य को 31 मार्च 1990 के मूल्य लाने के लिए सहमत हो गए हैं ।

(2) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रशासनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि सीमेंट के मूल्य उतने रखे जाएं जो 31-3-1990 के मूल्यों से अधिक न हों और विक्रेता खुदरा स्तर पर लाभ न कमाएं ।

(3) रेलवे बोर्ड ने निर्दिष्ट मार्गों पर आकस्मिक आधार पर सीमेंट लाने ले जाने के बारे में निर्देश जारी किए हैं ।

(4) मूल्य की प्रवृत्ति तथा सीमेंट लाने ले जाने के लिए, माल डिब्बों की उपलब्धता की कड़ी निगरानी की जा रही है ।

अनुबंध

दिसम्बर, 1989 तथा जनवरी, 1990 के अंतिम दिन प्रति बोरी सीमेंट का मूल्य (सभी करों सहित) दर्शाने वाला अनुबंध

शहर का नाम	दिसम्बर, 1989	जनवरी, 1990
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
दिल्ली	71-74	74-76
करनाल	74-75	73-74
लुधियाना	72-74	74-75
चंडीगढ	70-71	71-72
जयपुर	69-70	72-73
लखनऊ	70-72	73-74
श्रीनगर	80-81	80-81
शिमला	72-73	76-78

1	2	3
पूर्वी क्षेत्र		
कलकत्ता	82–86	77–82
पटना	72–76	73–76
भुवनेश्वर	71–72	71–73
गुवाहाटी	98–100	93–95
पश्चिमी क्षेत्र		
बम्बई	83–86	80–83
भोपाल	70–72	69–70
गोआ	78–80	72–76
अहमदाबाद	75–79	74–78
राजकोट	75–79	74–78
बड़ौदा	75–79	74–78
सूरत	75–79	74–78
दक्षिण क्षेत्र		
मद्रास	69–74	69–74
त्रिवेन्द्रम	80–84	80–84
बंगलौर	75–78	75–78
हैदराबाद	65–68	65–68
कालीकट	77–84	77–84

Impoit of implements for Central Hospital, Glybenclamide

*168. SHRI MOHD. KHALEELUR RAHMAN: SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to starred Question 5 given in the Rajya Sabha on the 30th April, 1990 and state:

(a) what was the amount assessed on Glybenclamide by the Special Team end when were the findings of assesment submitted to his Ministry; and

(b) what was the period for which assessment was made by the team on this drug?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. a GURUPADASWAMY); (a) The Special Team tentatively assessed a_n amount of Rs. 2. 59 lakhs as due from Ms. Hoechst India Limited upto 31st December, 1983 in respect of Glybenclamide bulk drug, in its resport submitted to the Government in May, 1988.

(b) In respect of Glybenclamide, the assessment was made for the period 17th November, 1983 to 31st December, 1983.

Import of implements for Central Hospital, Asansol

*169. SHRI SUNIL BASU RAY: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 2 sophisticated implements were imported a few years back, for treatment of cancer patients at the Central Hospital, Kalla, Asansol;